मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३१ सन् २०१७

मध्यप्रदेश वृत्तिकर (संशोधन) विधेयक, २०१७

विषय-सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

२. धारा २ का संशोधन.

३. धारा ७ का संशोधन.

४. धारा १५-क का संशोधन.

५. धारा १८ का संशोधन.

६. धारा २० का संशोधन.

७. अनुसूची का संशोधन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३१ सन् २०१७

मध्यप्रदेश वृत्तिकर (संशोधन) विधेयक, २०१७.

मध्यप्रदेश वृत्तिकर अधिनियम, १९९५ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वृत्तिकर (संशोधन) अधिनियम, २०१७ है;

(२) यह १ जुलाई, २०१७ से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा.

धारा २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश वृत्तिकर अधिनियम, १९९५ (क्रमांक १६ सन् १९९५) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में,—

(एक) खण्ड (क) में, शब्द, अंक तथा कोष्ठक ''मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) की धारा ३-क के अधीन नियुक्त किया गया प्राधिकारी'', के स्थान पर, शब्द, अंक तथा कोष्ठक ''मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) के अधीन नियुक्त किया गया अपीलीय प्राधिकारी और/या मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (क्रमांक १९ सन् २०१७) की धारा १०७ के अधीन अपील की सुनवाई के लिए नियुक्त या प्राधिकृत किया गया प्राधिकारी'' स्थापित किए जाएं.

(दो) खण्ड (ख) में, शब्द, अंक तथा कोष्ठक ''मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) की धारा ३ के अधीन नियुक्त सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी'', के स्थान पर, शब्द, अंक तथा कोष्ठक ''मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) के अधीन नियुक्त सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी और/या मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (क्रमांक १९ सन् २०१७) के अधीन नियुक्त राज्य कर अधिकारी'' स्थापित किए जाएं.

धारा ७ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ७ में, उपधारा (१) में, शब्द, अंक तथा कोष्ठक ''मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) की धारा ३ के अधीन नियुक्त किए गए आयुक्त, वाणिज्यिक कर'' के स्थान पर, शब्द, अंक तथा कोष्ठक ''मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) के अधीन नियुक्त किए गए आयुक्त, वाणिज्यिक कर और/या मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (क्रमांक १९ सन् २०१७) के अधीन नियुक्त किया गया राज्य कर आयुक्त'' स्थापित किए जाएं.

धारा १५-क का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा १५-क में, उपधारा (१) में, शब्द ''वाणिज्यिक कर निरीक्षक'' के स्थान पर, ''वाणिज्यिक कर निरीक्षक और/या राज्यकर निरीक्षक'' स्थापित किए जाएं.

धारा १८ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा १८ में, उपधारा (३) में, शब्द, अंक तथा कोष्ठक ''मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) की धारा ३ के अधीन नियुक्त किए गए अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर'', के स्थान पर, शब्द, अंक तथा कोष्ठक ''मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) के अधीन नियुक्त किए गए अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर और/या मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (क्रमांक १९ सन् २०१७) के अधीन नियुक्त किए गए राज्य कर विशेष आयुक्त/राज्य कर अपर आयुक्त'' स्थापित किए जाएं.

धारा २० का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा २० में, उपधारा (२) में, शब्द, अंक तथा कोष्ठक ''मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) की धारा ३ के अधीन नियुक्त किए गए वाणिज्यिक कर निरीक्षक'' के स्थान